न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील/28/2021 दायर दिनांकः 01.04.2021

GCMS NO- 2021/29

1.भादरराम पुत्र चिमनाराम अकवाम मेघवाल निवासी चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2.रायसिंह पुत्र चिमनाराम अकवाम मेघवाल निवासी चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3.हरीराम पुत्र चिमनाराम अकवाम मेघवाल निवासी चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4.रणजीत पुत्र चिमनाराम अकवाम मेघवाल निवासी चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(अपीलांटस)

बनाम

1.रामेश्वर पुत्र श्री सुरजाराम डूडी जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2.प्रेमकुमारपुत्र श्री सुरजाराम डूडी जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3.बद्रीराम पुत्र श्री सुरजाराम डूडी जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4.लालचंद भाम्भू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5.राजस्थान सरकार बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक सरकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

(रेस्पोंडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1.श्री भगवान दत्त शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 ता 03

3. राज पैरोकार

:: निर्णय :: दिनांकः–09.10.2023

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 26.02.2021 के विरूद्ध जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण भादरराम, रायसिंह, हरीराम व रणजीत पुत्रगण चिमनाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस के पिता चिमनाराम के नाम से चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 91/26 के किला नं. 2, 3, 8, 9 व 13 की अनकमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है। श्री चिमनाराम की मृत्यु हो चुकी है इसलिए बतौर वारिसान चिमनाराम, वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार दर्ज हैं। उक्त खातेदारी भूमि वाके चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ के प0 नं0 91/26 के कि.नं. 2,3,8,9 व 13 के कुछ भाग पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 रामेश्वर, प्रेमकुमार व बद्रीराम ने जबरन कब्जा करके अपने मकान तासीर कर लिये तथा तत्कालीन सरपंच लालचंद भांभू के साथ मिलकर कृषि भूमि के रिहायशी पट्‌टे बनवा लिये जो फर्जी दस्तावेज है क्योंकि आबादी बताकर पटटे तैयार किये गये हैं जबकि यह कृषि भूमि है, इसका रूपांतरण भी नहीं हुआ है, जिसे बेदखल किया जावे व अपीलांटस को कब्जा दिलाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या को तलब किया व अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 ता 03 की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत [illegible] नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें ADVERSE POSSESSION होने का एतराज [illegible] एवं यह कहा गया कि वादीगण का वादपत्र बिना वाद कारण प्रस्तुत हुआ है [illegible] बाहर है इसलिए प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोंडेंट का ADVERSE POSSESSION मानकर वाद में वाद कारण ना होने के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र कानून व तथ्यों से परे जाकर खारिज कर दिया। जबकि धारा 183 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पर ADVERSE POSSESSION था। जहां तक वाद कारण का प्रश्न है वाद प्रस्तुती से पूर्व अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण को भूमि खाली करने के लिए कहा, भूमि खाली नहीं करने पर दिनांक 21.05.2020 को वाद प्रार्थना–पत्र 183 बी प्रस्तुत कर दिया, वाद कारण प्रार्थना–पत्र स्वयमेव निहित है। रेस्पोडेंट ने कब्जे का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया, प्रार्थना–पत्र 183 (बी) की कार्यवाही समरी है इसमें रेस्पोडेंट को अपने कब्जे का आधार बताना था, जबकि वाद को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार का आदेश कानून विपरीत होने के कारण निरस्ती योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दत्त शर्मा हाजिर आये व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस के पिता चिमनाराम के नाम से चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 91/26 के किला नं. 2, 3, 8, 9 व 13 की अनकमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है। श्री चिमनाराम की मृत्यु हो चुकी है इसलिए बतौर वारिसान चिमनाराम, वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार दर्ज हैं। उक्त खातेदार भूमि वाके चक 2 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ़ के प0 नं0 91/26 के कि.नं. 2,3,8,9 व 13 के कुछ भाग पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 रामेश्वर, प्रेमकुमार व बद्रीराम ने जबरन कब्जा करके अपने मकान तासीर कर लिये तथा तत्कालीन सरपंच लालचंद भांभू के साथ मिलकर कृषि भूमि के रिहायशी पट्टे बनवा लिये जो फर्जी दस्तावेज है क्योंकि आबादी बताकर पटटे तैयार किये गये हैं जबकि यह कृषि भूमि है, इसका रूपांतरण भी नहीं हुआ है। जिसे बेदखल किया जावे व अपीलांटस को कब्जा दिलाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 ता 03 की ओर से प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट का ADVERSE POSSESSION का मानकर वाद में वाद कारण ना होने के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र कानून व तथ्यों से परे जाकर खारिज कर दिया। अधिवक्ता अपीलांटगण ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(27) 2020 अनवान रतनलाल बनाम शंकर आदि पेज 292 से 295 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–आदेश 7 नियम 11–दावा तभी खारिज किया जा सकता है जब वाद पत्र में वर्णित तथ्य कानून से बाधित है। लेकिन दावा अतिरिक्त कथन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता । बाद तनकीया बनाकर व गवाह लेकर ही निर्णित किया जा सकता है। रेस्पोडेंटगण अपीलांटगण की भूमि पर नाजायज काश्तकार के रूप में काबिज हैं एवं हर अंकित काश्तकार को अंकित भूमि से जबरन किये अतिक्रमित भूमि से बेदखल करवाने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में है।मातहत अदालत का यह कहना कि वाद कारण अंकित नहीं किया कतई गलत है। व्यवहार प्रकिया संहिता में वाद कारण ना प्राप्त होने पर वाद निरस्ती के प्रावधान है, वाद कारण की दिनांक अंकित ना करना वाद को निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। काश्तकारी अधिनियम में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अतिचारी को कब्जा मुखालफा ना के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते इस आधार पर आदेश अपीलाधीन निरस्ती योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटगण ने न्यायिक दृष्टांत डीएनजे अनवान कमला देवी बनाम नवीन कुमार पृष्ठ सं. 1198 से 1202 की ओर ध्यान आकर्षित कर किसी भी प्रकरण का तकनीकी आधार पर निस्तारण करने के बजाय प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना [illegible] अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का अपीलाधीन आदेश दि[illegible] 26.[illegible]021 खारिज फरमाया जाकर कब्जा अपीलांटगण को सौंपने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभय बहस की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। जिनके आलोक से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का तकनीकी आधार पर निस्तारण करने के बजाय प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 26.02.2021 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को पुनः सुनते हुए गुणावगुण के आधार पर 3 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner